न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

A-4/1

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्याः– 135/2022

1. ताराचन्द पुत्र स्व0 पूर्णाराम, जाति जाट, निवासी कबीरसर, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं (राज0)
2. श्रवण पुत्र स्व0 पूर्णाराम, जाति जाट, निवासी कबीरसर, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

––– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मण्डावा जिला झुझुनू।

––– रेस्पोडेन्ट

– – –

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 398 दिनांक 20.07.2022 तहसीलदार, (भू.अ.) मण्डावा

– – –

उपस्थितः–

1. श्री इन्द्रजीत शर्मा, अभिभाषक– अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.08.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र स्थगन के विद्वान तहसीलदार मण्डावा के नामान्तरकरण संख्या 398 दिनांक 20.07.2022 भूमि ग्राम कबीरसर के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी की तरफ से यह अपील निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत है कि अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण संख्या 398 तस्दीक करने का आदेश दिनांक 20.07.2022 विरूद्ध कानून एवं पत्रावली है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 201 के बाबत कोई रास्ते का प्रस्ताव वैधानिक एवं नियमानुसार नही लिया गया तथा अपीलार्थी की सहमति के लिये सहमति पत्र भी निष्पादित नही करवाया गया। अपीलार्थी को सहमति पत्र के लिए नोटिस भी जारी नही हुआ। ना नोटिस प्राप्त हुआ। रास्ते के लिए पड़ौसी खातेदारो द्वारा न तो ग्राम पंचायत में रास्ते के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया गया और ना ही मांग की गई थी। अपीलार्थी की भूमि में से रास्ता निकालने की कोई आवयकता नही रही है। मौके पर कई वैकल्पिक रास्ते/सड़क विधमान है जो वर्तमान में रास्ते के रूप में प्रचलित है इस प्रकार आक्षेपित नामान्तरकरण खारीज होने योग्य है। पूरी प्रकिया के दौरान अपीलार्थी को किसी भी स्टेज पर सुनवाई को कोई अवसर नही मिलने से पूरी प्रकिया दूषित हो चुकी है। अपीलार्थी की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 201 क्षेत्रफल 7.36 हैक्टेयर बारानी 1 कुल क्षेत्रफल 7.36 हैक्टेयर वाके ग्राम कबीरसर पटवारी हल्का पिलानी खुर्द तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं में से कभी कोई कदीमी रास्ता नही गुजरता था। वर्तमान में भी उक्त भूमि में से कोई कदीमी रास्ता प्रचलित नही है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) मण्डावा ने अपीलार्थी की उपरोक्त दर्ज खातेदारी काश्त की भूमि में से कदीमी रास्ता प्रचलित मानते हुए नामान्तरकरण संख्या 398 दिनांक 20.07.2022 को स्वीकार करते हुए तस्दीक कर दिया तथा खसरा नम्बर 473/201 क्षेत्रफल 0.10 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में गलत ढंग से दर्ज कर दिया। अपीलार्थी को सुनवाई का कोई भी समुचित अवसर प्रदान नही करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत मनमाने ढंग से अपीलार्थी की उपरोक्त भूमि के बाबत तस्दीक किया गया है। अपीलार्थी की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 201 तादादी 7.36 हैक्टेयर बारानी 1 वाके ग्राम [illegible] तहसील मण्डावा जिला झुझुनू के राजस्व रिकॉर्ड में एवं राजस्व रिकॉर्ड के नक्शो में कभी [illegible] प्रचलित नही रहा है और ना ही कोई रास्ते का गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अंकन रहा है [illegible] बावजूद अधीनस्थ तहसीलदार (भू0अ0) मण्डावा ने अपीलार्थी को सुनवाई [illegible] बिना मनमाने [illegible] विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आक्षेपित नामान्तरकरण [illegible] दिनांक 20.07.2022 को [illegible] एवं तस्दीक कर दिया है जो नामान्तरकरण संख्या 398 अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 201 के बाबत शून्य एवं अवैध, निष्प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डावा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.06 16:37:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

संख्या 398 दिनांक 20.07.2022 में न्यायालय आदेश को दर्ज करते हुए नामान्तरकरण तस्दीक किया है। जबकि न तो न्यायालय का नाम अंकित किया है और ना ही न्यायालय के आदेश की तिथि का उल्लेख किया है। अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 201 तादादी 7.36 हैक्टेयर वाके ग्राम कबीरसर तहसील मण्डावा के बाबत तहसीलदार मण्डावा द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व उक्त भूमि में कोई रास्ता प्रचलित है या नही इस बाबत कोई जांच सही ढंग से न तो स्वयं ने की और ना ही सही जांच अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी से करवाई है। अपीलार्थी की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 201 तादादी 7.36 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता कायम करते हुए नया खसरा नम्बर 473/271 क्षेत्रफल 0.10 हैक्टर गै0मु0 रास्ता कायम करने बाबत तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 398 सरासर गलत एवं अवैधानिक तरीके से तस्दीक किया गया है क्योंकि उक्त खसरा नम्बर 201 में से कभी कोई रास्ता या कदीमी रास्ता प्रचलित नही रहा है। इसलिए अपीलार्थी की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 201 में से 0.10 हैक्टर भूमि का गै0मु0 रास्ते के रूप में नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 के प्रावधानो के विपरीत है क्योंकि मौके पर उक्त नये खसरा नम्बर 473/201 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त है तथा फसल काश्त कर रखी है। अपीलार्थी की उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 201 मे से कदीमी प्रचलित रास्ता मनमाने ढंग से मानते हुए राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवने बावत तहसीलदार मण्डावा द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अभिशंषा भी मनमाने ढंग से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना गैरकानूनी ढंग से प्रस्तुत की गई थी। कानूनन खातेदार की भूमि में से कोई भूमि गै0मु0 रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने एवं तरमीम करने से पूर्व खातेदार काश्तकार को सुनवाई एवं आपति का समुचित अवसर प्रदान करना आवश्यक होता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में से गै0मु0 रास्ते की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज करने एवं तरमीम करने से पूर्व कोई अवसर किसी प्रकार का नही दिया। अपीलार्थी के पास पर्याप्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य मौजूद थे जिन्हे अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर मिलता तब प्रस्तुत करके यह साबित करता कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में कोई रास्ता कभी प्रचलित नही रहा है और ना ही रास्ते के रूप में अपीलार्थी की भूमि का उपयोग उपभोग ग्रामवासियो के द्वारा किया जाता रहा है। तहसीलदार मण्डावा ने अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 201 तादादी 7.36 हैक्टेयर वाके ग्राम कबीरसर तहसील मण्डावा के बाबत नामान्तरकरण संख्या 398 तस्दीक करके नया खसरा नम्बर 473/201 क्षेत्रफल 0.10 हैक्टर गै0मु0 रास्ते के रूप में गलत कायम किया है क्योकि उक्त नामान्तरकरण के आदेश में न तो न्यायालय का नाम अंकित है और ना ही न्यायालय आदेश की तिथि यदि शिविर प्रभारी पंचायत समिति मण्डावा कैम्प मुकाम पिलानी खुर्द सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ जिला झुंझुनूं के आदेश दिनांक 8.12.2021 को न्यायालय आदेश मानकर अधीनस्थ तहसीलदार मण्डावा ने नामान्तरकरण संख्या 398 तस्दीक किया भी था तो भी अपीलार्थी को उपरोक्त शिविर प्रभारी कैम्प पिलानी खुर्द में न तो सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया और ना ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था शिविर प्रभारी ने भी मौके पर जाकर रास्ते बाबत जांच पड़ताल की गई थी। यह अपील तहसीलदार (भू0अ0) मण्डावा में अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के बाबत तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 398 दिनांक 20.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है। जो अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपीलार्थी की तरफ से यह अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 398 दिनांक 20.07.2022 तहसीलदार (भू0अ0) मण्डावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 201 क्षेत्रफल 7.36 हैक्टर वाके ग्राम कबीरसर बाबत तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 398 खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि [illegible] पंचायत द्वारा अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 201 के बाबत कोई रास्ते का प्रस्ताव वैधानिक एवं [illegible]नुसार नही लिया गया तथा अपीलार्थी की सहमति के लिये सहमति पत्र भी निष्पादित नही [illegible] गया। अपीलार्थी को सहमति पत्र के लिए नोटिस भी जारी नही हुआ। ना [illegible] के लिए पड़ौसी खातेदारो द्वारा न तो ग्राम पंचायत में रास्ते के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया गया [illegible] ही मांग की गई थी। अपीलार्थी की भूमि में से रास्ता निकालने की कोई आवयकता नही रही है। मौके पर कई वैकल्पिक रास्ते/सड़क विधमान है जो वर्तमान में रास्ते के रूप में प्रचलित है। पूरी प्रकिया के दौरान अपीलार्थी को किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.06 16:37:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

स्टेज पर सुनवाई को कोई अवसर नही मिलने से पूरी प्रकिया दूषित हो चुकी है। अपीलार्थी की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 201 क्षेत्रफल 7.36 हैक्टेयर बारानी 1 कुल क्षेत्रफल 7.36 हैक्टेयर वाके ग्राम कबीरसर पटवारी हल्का पिलानी खुर्द तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं में से कभी कोई कदीमी रास्ता नही गुजरता था। अतः अपीलार्थी की तरफ से यह अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 398 दिनांक 20.07.2022 तहसीलदार (भू0अ0) मण्डावा स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 201 क्षेत्रफल 7.36 हैक्टर वाके ग्राम कबीरसर बाबत तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 398 खारिज फरमाया जावे।

A-4/3

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम कबीरसर के क्रम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 398 दिनांकित 20.07.2022 नियमानुसार न्यायालय आदेश की पालना मे भरा गया है। नामान्तरकरण भरने से पूर्व पटवारी हल्का से इसकी जांच करवाई गई है जिसको भू0अ0नि0 द्वारा तस्दीक किया गया है। अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण बाद जांच नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम कबीरसर स्थित भूमि ख0न0 473/201 रकबा 0.10 हैक्टर का न्यायालय आदेश की पालना मे नियमानुसार नामान्तरकरण सं0 398 दिनांक 20.07.2022 बाद जांच स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से जांच करवाई गई है एवं भू0अ0नि0 द्वारा इसकी तस्दीक की गई है। अदालत मातहत के निर्णय मे कोई त्रुटि नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारीज होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से सुना जाना आवश्यक नही है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.06 16:37:20 IST
Reason: SelfAttested